☎2286710, 2286709
राज्य नगरीय विकास अभिकरण
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग,
लखनऊ–226001
website-www.sudaup.org

पत्रांकः–4089 /01/29/HFA-12/2017–18 दिनांकः–23 जनवरी, 2018

समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।

विषयः–**प्रधानमंत्री आवास योजना–सबके लिये आवास (शहरी) मिशन के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–162/2016/623/69–1–2016–14(139)/2015 टीसी दिनांक 21 मार्च, 2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत लाभार्थियों को आवास प्रदान करने के लिए विस्तृत निर्देश दिये गये हैं कि योजना के घटक 'लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण' के अन्तर्गत चयनित लाभार्थी को केन्द्रीय सहायता के रूप में रु0 1.50 लाख तथा राज्य सरकार की ओर सहायता धनराशि रु0 1.00 लाख दिया जाना है। कुल सहायता धनराशि रु0 2.50 लाख में से प्रथम किश्त के रूप में 40 प्रतिशत लाभार्थी द्वारा प्लिन्थ लेवल तक निर्माण करने पर, आवास के लिन्टर के समय द्वितीय किश्त के रूप में 40 प्रतिशत तथा आवास पूर्ण होने पर शेष धनराशि 20 प्रतिशत दिये जाने की व्यवस्था प्राविधानित है। लाभार्थी द्वारा अपने स्वयं के संसाधन से प्लिन्थ लेवल तक आवास निर्मित होने पर प्रथम किश्त की धनराशि दिये जाने की व्यवस्था थी।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में शासनादेश संख्या–02/2018/1851(1)/69–1–2017–14(235)/2015 दिनांक 11.01.2018 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा संशोधन किया गया है, जिसमें प्राविधानित किया गया है कि कुल सहायता की धनराशि रु0 2.50 लाख में से प्रथम किश्त की धनराशि के रूप में रु0 50,000/– आवास स्वीकृत होने के उपरान्त ही लाभार्थी के खाते में हस्तगत की जायेगी। द्वितीय किश्त की धनराशि रु0 1,50,000/– छत डालने से पूर्व अवमुक्त की जायेगी तथा तृतीय/अंतिम किश्त के रूप में रु0 50,000/– की धनराशि आवास पूर्ण होने पर डी0बी0टी0 (डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर) के माध्यम से लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर की जायेगी। प्रथम जियो टैगिंग (Geo-tagging) जीरो लेवल पर, द्वितीय जियो टैगिंग प्लिन्थ लेवल पूर्ण होने पर, तृतीय जियो टैगिंग छत डालने पर तथा चतुर्थ जियो टैगिंग आवास पूर्ण होने पर की जायेगी। प्रथम किश्त रु0 50,000/– की धनराशि जीरो लेवल की जियो टैगिंग के मॉडरेशन के बाद भारत सरकार के पोर्टल पर दिखाई पड़ने के पश्चात् अवमुक्त की जायेगी। पोर्टल पर दर्शित लाभार्थी का विवरण उदाहरणार्थ संलग्न है। पूर्व में

क्रमशः.....2 पर

सूडा के पत्रांक–2774 / 01 / 76 / एक / 2017–18 दिनांक 17 अक्टूबर, 2017 द्वारा स्वीकृत आवासों के सापेक्ष जो धनराशि अवमुक्त की गयी है, उसमें केन्द्रांश और राज्यांश को अलग–अलग करते हुए पत्र के साथ संलग्न कर इस आशय के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि उसमें से केन्द्रांश की धनराशि को छोड़ते हुए तत्काल स्वीकृत आवासों की प्रथम जीरो लेवल की जियो टैगिंग कराते हुए राज्यांश की धनराशि में से रु0 50,000 / – लाभार्थियों को अवमुक्त करने का कष्ट करें। प्रत्येक दशा में माह जनवरी 2018 तक जनपद स्तर पर उपलब्ध राज्यांश की धनराशि का शत प्रतिशत उपभोग करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र भी प्रेषित करने का कष्ट करें।

पूर्व में सूडा के पत्रांक–3280 / 01 / 29 / एचएफए–11 / 2017–18 दिनांक 23.11.2017 द्वारा परियोजना अधिकारी, डूडा द्वारा कराये जाने वाले कार्यों हेतु दिशा–निर्देश के साथ लाभार्थी से लिये जाने वाले शपथ पत्र में नये शासनादेश सं0–02 / 2018 / 1851(1) / 69–1–2017–14(235) / 2015 दिनांक 11.01.2018 के क्रम में संशोधन करते हुए आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि जिन लाभार्थियों को पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या–162 / 2016 / 623 / 69–1–2016–14(139) / 2015 टीसी दिनांक 21 मार्च, 2016 के अनुरूप प्रथम किश्त की धनराशि प्लिन्थ लेवल पूर्ण होने पर जियो टैगिंग के पश्चात् रु0 1.00 लाख अवमुक्त की जा चुकी हैं, उन लाभार्थियों के सम्बन्ध में पूर्व शासनादेश की शर्तें यथावत् रहेगी।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
निदेशक

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त परियोजना अधिकारी, डूडा, उ0प्र0 को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. वेब मास्टर / सहा0 परियोजना अधिकारी, सूडा, लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
निदेशक